

समक्ष एस. एस. संधावालिया, सी. जे. और एस. एस. दीवान, जे.

एवन स्केल्स कंपनी, सोनीपत, - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका सं. 1975 का 2381

7 अगस्त, 1978।

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1973 का 20) - धारा 1 (3) और 40 - धारा 40 को दी गई पुनरावलोकन - क्या वैध है - अपील का वैधानिक उपाय नहीं, इसका लाभ उठाया गया है - निर्धारिती - क्या असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र के तहत राहत का हकदार है।

निर्धारित किया जाता है कि संवैधानिक प्रतिबंधों के अधीन, कानून बनाने की शक्ति में भावी प्रभाव से और साथ ही पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की शक्ति शामिल है। उपरोक्त बार को छोड़कर, विधायिका के पास इसके प्रावधानों को पुनरावलोकन देने का पूर्ण अधिकार क्षेत्र है। इस प्रकार, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 40 को दिया गया पूर्वव्यापी संचालन वैध है। (पैरा 6)।

निर्धारित किया जाता है कि यदि कोई आक्षेपित आदेश अपील योग्य है, तो रिट याचिकाकर्ता को अपील के माध्यम से अपने सामान्य उपाय तक ही सीमित रहना चाहिए। केवल इसलिए कि उन्होंने इसका सहारा नहीं लेने का विकल्प चुना था या रिट याचिका को प्राथमिकता देकर उक्त उपाय को समय सीमा में आने की अनुमति दी थी, केवल अपनी चूक के कारण उन्हें रिट अधिकार क्षेत्र में असाधारण उपाय प्रदान करने का कोई आधार नहीं है। (Para 7)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय निम्नलिखित के लिए कहे: -

- i. आक्षेपित आदेश, अनुबंध पी/6 से संबंधित प्रतिवादियों के रिकॉर्ड भेजे और उसी के अवलोकन के बाद आक्षेपित आदेश, अनुबंध पी-6 को रद्द किया जाए;
- ii. हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 40 को भारत के संविधान के विपरीत घोषित करना;
- iii. कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय इस मामले की परिस्थिति में उपयुक्त और उचित समझे;
- iv. इस माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका के अंतिम निर्णय तक अनुलग्नक पी/के के आदेश के अनुसरण में आकलन प्राधिकारी के समक्ष लंबित कार्यवाही पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया जाए।
- v. याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों को प्रस्ताव के पूर्व नोटिस देने से छूट दी जाए, क्योंकि यह आशंका है कि मूल्यांकन प्राधिकारी 12 मई, 1975 को या

एवन स्केल्स कंपनी, सोनीपत बनाम हरियाणा राज्य आदि (एस.
एस. संधवालिया, सी.जे.)

उसके बाद किसी भी समय मूल्यांकन को अंतिम रूप दे सकता है, इस प्रकार रिट याचिका निरर्थक हो सकती है।;

- vi. *अनुलग्नक 'पी/3 और 5' की मूल प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दें क्योंकि यह याचिकाकर्ता के पास आसानी से उपलब्ध नहीं है;*
- vii. *इस याचिका की लागत याचिकाकर्ता को दी जाए।*

याचिकाकर्ता की ओर से वकील के. एन. नरूला ने पैरवी की।

उत्तरदाताओं के लिए एस.सी. मोहंता, ए.जी. के साथ नौबत सिंह, सीनियर डी.ए.जी.

;

निर्णय

एस.एस. संधवालिया, सी.जे.

- 1) हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1973 की धारा 40 की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए, इसके संभावित और पूर्वव्यापी संचालन दोनों के संबंध में, इस रिट याचिका में उठाया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं की प्राथमिक शिकायत अंबाला के उप आबकारी और कराधान आयुक्त के आदेश के आसपास केंद्रित थी, जिसके तहत उन्होंने 22 जनवरी, 1973 के आकलन प्राधिकरण, सोनीपत के आदेश को रद्द कर दिया था और मामले को नए मूल्यांकन के लिए भेज दिया था।
- 2) इसके बाद जो कुछ होता है, उसे देखते हुए तथ्यों को किसी भी बड़े विस्तार से बताना अनावश्यक है। यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि, अनुबंध पी. 1 के माध्यम से, मूल्यांकन प्राधिकरण, सोनीपत ने याचिकाकर्ताओं मेसर्स एवन स्केल कंपनी, सोनीपत से 85 रुपये की मामूली राशि पर देय कुल कर और जुर्माने का आकलन किया और तदनुसार उनके खिलाफ मांग नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उप आबकारी और कराधान आयुक्त, अंबाला ने हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 40 द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही का रिकॉर्ड और मूल्यांकन आदेश मांगा ताकि मूल्यांकन आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट किया जा सके। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं को उक्त प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन किया गया था- अनुलग्नक पी. 4 के तहत। याचिकाकर्ता-फर्म के भागीदारों में से एक 6 जनवरी, 1975 को उपर्युक्त प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुआ और मामले के गुण-दोष का आग्रह करने के अलावा कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध किया क्योंकि मूल्यांकन उन मामलों से संबंधित था, जिनमें से कुछ लगभग सात

साल पुराने थे। अंबाला के उप आबकारी और कराधान आयुक्त ने हालांकि रिकॉर्ड की जांच करने पर पाया कि क्या याचिकाकर्ताओं से माल के खरीदारों ने पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसा किया था और आगे इन सामानों की पुनर्बिक्री में लगे हुए थे, इस सवाल की आगे की जांच की आवश्यकता है और परिणामस्वरूप मामले को नए मूल्यांकन के लिए आकलन प्राधिकरण को भेज दिया गया। याचिकाकर्ताओं को 28 जनवरी, 1975 को सुबह 10 बजे आवश्यक दस्तावेजों और सबूतों के साथ कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।

- 3) यद्यपि उपरोक्त आदेश अपील योग्य है, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई अपील पसंद नहीं की गई थी- हालांकि, इसके लगभग चार महीने बाद 6 मई, 1975 को वर्तमान याचिका दायर की गई थी, जिसमें हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 40 की वैधता को भी चुनौती दी गई थी।
- 4) हमारे सामने श्री आर एन नरूला हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 40 की संवैधानिकता के खिलाफ कोई भी विवाद उठाने में असमर्थ रहे हैं, जो निम्नलिखित शब्दों में है -

"40. पुनरावृत्ति(1) आयुक्त अधिकरण के अलावा किसी कर निर्धारण प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित या निपटाए गए किसी मामले की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजन से या उसमें किए गए किसी आदेश का अभिलेख मांग सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

1. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को उपधारा (1) के अधीन आयुक्त की शक्तियाँ प्रदान कर सकेगी, जिसका प्रयोग ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसे क्षेत्रों के संबंध में किया जाएगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।
2. इस धारा के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जो किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।'

यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त प्रावधान द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण शक्तियाँ असंख्य अन्य विधियों के समान हैं और उनकी वैधता शायद ही कभी चुनौती का विषय रही है। वास्तव में, जब इस पर जोर दिया गया, तो विद्वान वकील ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि प्रावधान निर्दोष हैं और प्रसिद्ध और अच्छी तरह से स्थापित संशोधन शक्तियाँ प्रदान करते हैं, जो किसी भी गंभीर चुनौती से परे हैं।

एवन स्केल्स कंपनी, सोनीपत बनाम हरियाणा राज्य आदि (एस.
एस. संधवालिया, सी.जे.)

5) मुख्य आधार पर खारिज करते हुए, वकील ने तर्क दिया कि धारा 40 का संभावित संचालन अकाट्य हो सकता है, फिर भी कानून द्वारा दी गई पुनरावलोकन मान्य नहीं है। इस संबंध में हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 1 का संदर्भ दिया गया था जिसमें उप-धारा (3) की संगत मद के तहत धारा 40 के प्रावधानों को 1 मार्च, 1978 से पुनरावलोकन दिया गया है।

6) पुनरावलोकन के बिंदु पर याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील भी समान रूप से कमजोर आधार पर हैं। जैसा कि स्पष्ट है, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 को 1973 में हरियाणा राज्य के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था और 6 मई, 1973 को लागू किया गया था। यह अच्छी तरह से तय है कि संवैधानिक प्रतिबंधों के अधीन कानून बनाने की शक्ति में भावी प्रभाव से और साथ ही पूर्वव्यापी रूप से कानून बनाने की शक्ति शामिल है। यह कई बार माना गया है कि उपरोक्त बार को छोड़कर विधायिका के पास इसके प्रावधानों को पुनरावलोकन देने का पूर्ण अधिकार है। इस प्रस्ताव का सामना करते हुए, श्री नरूला ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि पुनरावलोकन के बिंदु पर भी उनके पास आग्रह करने के लिए कोई मामला नहीं था।

7) संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ प्राथमिक चुनौती यह है कि रिट याचिका में शायद ही कुछ और बचता है। उप आबकारी और कराधान आयुक्त, अंबाला के आक्षेपित आदेश, अनुबंध पी. 6 में अपील योग्य होने के कारण, याचिकाकर्ताओं को अपील के माध्यम से उनके सामान्य उपचार तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। केवल इसलिए कि उन्होंने इसका सहारा नहीं लेने का विकल्प चुना था या याचिकाकर्ताओं के भागीदारों में से एक की उपस्थिति में पारित आदेश के चार महीने से अधिक समय के बाद वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता देकर उक्त उपाय को समयबद्ध होने की अनुमति दी थी, केवल उनके ओडब्ल्यूपी चूक के कारण उन्हें असाधारण उपाय या रिट अधिकार क्षेत्र प्रदान करने का कोई आधार नहीं है।

8) इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित का अंतिम परिणाम! आदेश यह है कि पूरे मामले को मूल्यांकन प्राधिकारी के पास वापस भेज दिया गया है। निस्संदेह मूल्यांकन के मूल आदेश के खिलाफ कानून द्वारा प्रदान की गई अपील और संशोधन ों का एक पदानुक्रम है। बिक्री कर न्यायाधिकरण द्वारा इस न्यायालय को दिए गए अंतिम संदर्भ द्वारा और भी उपाय प्रदान किए गए हैं। इस संदर्भ में याचिकाकर्ता रिट कोर्ट के हाथों किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं और उन्हें उनके सामान्य वैधानिक उपायों में डाल दिया जाता है जो अभी तक कानून में उनके लिए उपलब्ध हो सकते हैं- रिट याचिका हमें गलत प्रतीत होती है और इसलिए इसे लागत के साथ खारिज किया जाता है।

9) श्री आर. एन. नरूला ने निष्पक्ष रूप से कहा है कि 1975 की संबंधित सिविल रिट याचिका संख्या 2382 से 2386 में स्थिति समान है और वे सभी इस निर्णय द्वारा शासित होंगे। तदनुसार इन सभी रिट याचिकाओं को लागत के साथ खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रजत अरोड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी